राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	झूथाराम बनाम मालीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/25	158/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/11/2025 को पेश हो।	
28/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही आदेश दिनांक 15/09/2017 पारित करते हुये अप्रार्थी/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/06/2018 पारित करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. का कथन है कि गंगू के सभी वारिसान विवादग्रस्त भूमि पर काबिज थे, जिसके कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये है। यदि गंगू के पांच वारिस थे तो सभी के मध्य विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया जाना चाहिए था परन्तु 1/2 हिस्से का कोई आधार सिद्ध नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. की तरफ से किसी प्रकार के कोई दस्तावेजात पेश नही किये गये है, जिसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अपीलार्थी विवादाग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि सेटलमेंट के समय से ही अपीलार्थी के दादाजी के नाम दर्ज रही है एवम् तत्पश्चात अपीलार्थी विवादाग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर एवम् प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनो तत्वों का विवेचन/परिक्षण किये बगैर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2018 पारित करते हुए अपीलार्थी को उसकी खाते की आराजी के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबंधित किये जाने में तथ्यात्मक एवम् विधिक त्रुटी कारित की है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दिनांक 03/02/2025 को	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	झूथाराम बनाम मालीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मियाद बाहर प्रस्तुत की है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद विचाराधीन है | दिनांक 16/10/2017 को अपीलार्थी की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष UT पेश की थी एवं दिनांक 14/12/2017 को जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारादीन मूल वाद में अपीलार्थी उपस्थित है, जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील धारा-5 मियाद बाहर धारित करते हुए ख़ारिज किये जाने योग्य है | रेस्पो. का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का दावा प्रस्तुत किया हुआ है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/06/2018 पारित किये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/06/2018 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 03/02/2025 को यानि करीबन 6 वर्ष 8 माह की देरी से मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय आदेशिकाऐ अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी उपस्थित रहे है एवं उनके द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को नियमित रूप से तारीख दर तारीख पेशी नियत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई इतनी लम्बी अवधि की देरी को कन्डोन करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य व्येग एवं तथ्यहीन प्रतीत होने से स्वीकार योग्य नही रह जाते है | अत: अपीलार्थी मियाद का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नही होते है | अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है | फलस्वरूप अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना धारित कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर